न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मांगरोल, जिला बारां (राज०)

बइजलास अंजना सहरावत (आर.ए.एस)

प्रकरण संख्या :– 31/2016/दावा/बउनवान/गजेन्द्र सिंह बनाम लाड़ बाई

जीसीएमएस संख्या 2016/00162

1. गजेन्द्र सिंह पुत्र श्री रूपसिंह जाति राजपूत निवासी महावीर नगर तृतीय कम्पीटशन कॉलोनी म.नं0. 229 थाने के पीछे कोटा जिला कोटा (राज0)
   1/1 भूपेन्द्र सिंह पुत्र गजेन्द्र सिंह जाति राजपूत निवासी बोरखेडा कोटा जिला कोटा
   1/2 शशिकला पुत्री गजेन्द्र सिंह जाति राजपूत निवासी बोरखेडा कोटा जिला कोटा

.....वादीगण

बनाम

1. लाड़ बाई बेवा कल्याण सिंह जाति राजपूत निवासी बावड़ीखेडा तहसील अन्ता जिला बारां (राज0)
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब मांगरोल, जिला बारां (राज०)

.....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 90, 91, 92, 188 आर0टी0एक्ट0

वकील वादी : श्री अजीत कुमार जैन

दायरा दिनांकः 06.04.2016 **निर्णय दिनांकः 03.03.2025**

निर्णय

प्रस्तुत वाद का बिन्दुवार विवरण निम्न प्रकार है:–

1. यह कि ग्राम हिगोंनिया तहसील मांगरोल में खसरा संख्या 302 रकबा 0.31 है0, व खसरा नं. 303 रकबा 1.68 है0 कुल 2 किता रकबा 1.99 है0, भूमि स्थित है, जिन्हें प्रस्तुत वाद में आगे वादग्रस्त भूमियों के नाम से सम्बोधित किया जा रहा है।
2. यह कि वादग्रस्त भूमियां वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिवादी क्रम 01 के नाम बतौर खातेदार कृषक दर्ज है।
3. यह कि वादग्रस्त भूमियों का साबिक खसरा नं. 146 रकबा 2 बीघा एवं 147 रकबा 11 बीघा 3 बीस्वा था तथा यह स्थिति साबिक जमाबन्दी सम्वत् 2014 से 2023 की जमाबन्दी में थी तथा उस समय भी कॉलम नं. 4 में लाड़बाई बेवा कल्याण सिंह राजपूत खुदकाश्त एवं कॉलम नं 3 में माफी पूण्यार्थ मांगीलाल वल्द छोटेलाल 1/2 व मानसिंह व रूप सिंह नाबालिग बविलायत रामसिंह भाई खुद पिसरान भैरूसिंह हिस्सा बराबर के नाम दर्ज थी।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मांगरोल

अंजना सहरावत
उपखण्ड अधिकारी
मांगरोल

Scanned by CamScanner

4. यह कि उपरोक्त भूमियां कॉलम नं. 3 में जिन लोगों के नाम दर्ज है उन लोगों ने अभी भी यह भूमियां प्रतिवादी क्रम 01 को बेचान नहीं की किन्तु प्रतिवादी क्रम 01 ने राजस्व कर्मचारियों से मिलकर उपरोक्त भूमियां बिना वादी की सहमति से अपने नाम दर्ज करवा ली, जिसका उनको कोई अधिकार हासिल नहीं था।
5. यह कि वादपत्र की मद नं. 03 के अनुसार रूपसिंह के दो पुत्र हुये उसके मुताबिक रूपसिंह के दो पुत्र हुये जिनमें वादी व विचित्र सिंह हुये। विचित्र सिंह लाऔलाद फौत हो गया है तथा वादी ही अब रूपसिंह का एकमात्र जीवित वारिस है। उपरोक्त सभी खातेदारान फौत हो चुके है जो लाऔलाद फौत हुये हैं, उनका आज कोई वैधानिक वारिस जीवित नहीं है। इन सबका वैधानिक वारिस वादी ही है जो जीवित है। अतः वादी वादग्रस्त भूमियों पर अपना नाम बतौर खातेदार कृषक दर्ज करवा पाने के अधिकारी व नालिशी है।
6. यह कि वादी ने उपरोक्त भूमियों पर अपना नाम दर्ज करवाने के लिये काफी प्रयास किया व मौके पर भी काश्त करने के लिये गया किन्तु प्रतिवादीगण ने काश्त नहीं कर दी क्योंकि वादी अकेला व्यक्ति है। वादी दिनांक 05.12.2015 को ग्राम हिंगोनिया तहसील मांगरोल में गया व उपरोक्त भूमियां काश्त करने का प्रयास किया लेकिन प्रतिवादीगण ने विवादित भूमियां काश्त नहीं करने दी एवं वादी से यह कहा कि हम इन भूमियों का बेचान भी करेगें। तुम्हारी इच्छा हो जो कर ला। अतः वादी खिलाफ प्रतिवादीगण स्थायी निषेधाज्ञा जारी करा पाने का अधिकारी व नालिशी है।
7. यह कि वादी ने प्रतिवादी के विधिक प्रतिनिधि तहसीलदार मांगरोल को कई बार नामान्तरण दर्ज करने के लिये प्रार्थना पत्र दिया किन्तु उन्होने यह कहकर पल्ला झाड लिया कि यह काफी पुराना मामला है, इसलिये तुम इसका नियमित वाद दायर करो एवं न्यायालय से आदेश लाओ तभी यह भूमि तुम्हारे नाम दर्ज होगी।
8. यह कि वादी ने दिनांक 07.12.2015 को प्रतिवादी के विधिक प्रतिनिधि जिला कलेक्टर बारां को नोटिस 80 ज़ा.दी का दिलवाया जो उनको प्राप्त हो गया, जिसकी मियाद नोटिस दिनांक 07.02.2016 को समाप्त हो गई है किन्तु उन्होने कोई सहायता नहीं पहुंचायी है। अतः उनको पक्षकार बनाया गया है।
9. यह कि वाद कारण दिनांक 05.12.2015 नीज दिनांक 07.02.2016 को मियाद नोटिस समाप्त होने पर बमुकाम हिगोनियां तहसील मांगरोल में उत्पन्न हुआ।
10. यह कि विवादग्रस्त भूमि ग्राम हिगोनियां तहसील मांगरोल में स्थित है इस कारण माननीय न्यायालय को श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मांगरोल

अंजना सहरावत
उपखण्ड अधिकारी
मांगरोल

Scanned by CamScanner

11. यह कि वाद का मूल्यांकन विवादग्रस्त भूमि का 50 गुना कायम किया जाकर नियत न्यायशुल्क पर दावा अन्दर मियाद पेश है।

प्रार्थना :–

अतः वादी प्रार्थी है कि बहक वादी खिलाफ प्रतिवादीगण निम्न डिक्री पारित की जावे –

1. यह कि ग्राम हिगोनियां तहसील मांगरोल की वादपत्र की मद नं. 01 में वर्णित भूमियों पर वादी को खातेदार कृषक घोषित किया जावे एवं राजस्व रिकॉर्ड में इसका अंकन किया जावे तथा प्रतिवादी क्रम 01 का नाम विलोपित किया जावे।
2. यह कि प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि ताफैसला वाद प्रतिवादीगण विवादित भूमियों को रहन बेचान या अन्य प्रकार से मुन्तकिल न करें व राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखें।
3. यह कि अन्य न्यायोचित सहायता जो अदालत मुनासिब समझे वह भी वादी को दिलवायी जावे।

उक्त आशय का वादपत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दिनांक 06.04.2016 को दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया। प्रतिवादी कम 1 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर प्रतिवादी कम 1 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी।

साक्ष्यवादी में वकील वादी द्वारा गजेन्द्र सिंह एवं रामकिशन के बयान लेखबद्ध करवाए जो शामिल पत्रावली है।

वकील वादी द्वारा दस्तावेज प्रदर्श 1 नकल नोटिस दिनांक 07.12.2015 प्रदर्श 2 नकल जमाबन्दी ग्राम हिंगोनिया खाता सं. 122 सम्वत् 2070 से 2073 प्रदर्श 3 नकल जमाबंदी खतौनी बन्दोबस्त ग्राम हिंगोनिया सम्वत् 2014 में 2023 प्रदर्श 4 नकल मिलान क्षेत्रफल ग्राम हिंगोनिया सम्वत् 2044 से 2063 न्यायालय के समक्ष प्रदर्श करवाए गए।

वकील एकपक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली मय संलग्न दस्तावेजातव राजस्व रिकार्ड काध्यानपूर्वक अवलोकन, अध्ययन एवं गहनता से मनन किया। वकील वादी ने कथन किया कि ग्राम हिगोंनिया तहसील मांगरोल में खसरा संख्या 302 रकबा 0.31 है0, व खसरा नं. 303 रकबा 1.68 है0 कुल 2 किता रकबा 1.99 है0, भूमि स्थित है जिसमें प्रतिवादी कम 1 रिकार्डेड खातेदार है। साबिक खसरा नं. 146 रकबा 2 बीघा एवं 147 रकबा 11 बीघा 3 बिस्वा था तथा यह स्थिति साबिक जमाबन्दी सम्वत् 2014 से 2023 की जमाबन्दी में थी तथा उस समय भी कॉलम नं. 4 में लाड़बाई बेवा कल्याण सिंह राजपूत खुदकाश्त एवं कॉलम नं 3 में माफी पूण्यार्थ मांगीलाल वल्द छोटेलाल 1/2 व मानसिंह व रूप सिंह नाबालिग बविलायत रामसिंह

न्यायालय उपखण्ड मांगरोल

अंजना सहरावत
उपखण्ड अधिकारी
मांगरोल

Scanned by CamScanner

भाई खुद पिसरान भैरूसिंह हिस्सा बराबर के नाम दर्ज थी। उक्त विवादित पूर्व में जिन लोगों के नाम दर्ज है उन लोगों ने अभी भी यह भूमियां प्रतिवादी क्रम 01 को बेचान नहीं की। किन्तु प्रतिवादी क्रम 01 ने राजस्व कर्मचारियों से मिलकर उपरोक्त भूमियां बिना वादी की सहमति से अपने नाम दर्ज करवा ली।

वकील वादी द्वारा साक्ष्यवादी में कोई समुचित साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये हैं जो यह स्पष्ट करें कि प्रतिवादी क्रम 01 ने राजस्व कर्मचारियों से मिलकर विवादित आराजी धोखे से अपने नाम दर्ज करवा ली हो और न ही कोई पर्याप्त साक्ष्य न्यायालय के समक्ष पेश किये हैं जो वादी के विवादित आराजी में खातेदारी के दावे को सिद्ध करें। अतः वादी का वाद पत्र समुचित साक्ष्य के अभाव में अस्वीकार किया जाना न्यायोचित होगा।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचन एवं वकील एकपक्षीय बहस के आधार पर वादीगण का वादपत्र अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज खुले न्यायालय में दिनांक 03.03.2025 को सुनाया गया।

अंजना महावर (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
मांगरोल

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
मांगरोल

Scanned by CamScanner